FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

ज्ञानचन्द बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा मु0नं0 30 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

2-2025 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.03.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

11-03-2025
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/06/25 को पेश हो।

4/7 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 16/9/25 को पेश हों।

17/07/2025

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम "ज्ञानी पुत्र हेमा" दर्ज हैं जबकि वादी का नाम "ज्ञानी पुत्र हेमा" की जगह "ज्ञानचन्द सैनी पुत्र हेमा" सही होना बताया है। उक्त तथ्य की पुष्टि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:48:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख
हुक्म

संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तन ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 423, 429 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम "ज्ञानी पुत्र हेमा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक ~~जाति~~ नाम "ज्ञानचन्द सैनी पुत्र हेमा" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:48:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. ज्ञानचन्द पुत्र श्री हेमा जाति माली निवासी झिराना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 30 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री बी. एल. जांगिड़ एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर तहसील** नीमकाथाना **जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 423, 429 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम "ज्ञानी पुत्र हेमा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "ज्ञानचन्द सैनी पुत्र हेमा" दुरूस्त किया जाता हैं।** उक्तानुसार **राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 17 माह 07 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का जो डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:48:02 IST
Reason: SelfAttested